कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट गाजियाबाद

पत्रांक 3326/एस0टी0–डी0एम0/2020 दिनांक 20.04.2020

आदेश

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40–3/2020–डीएम–1(ए) दिनांक 15.04.2020 के कम में मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन द्वारा निर्गत पत्र संख्या 264/2020/सी0एक्स0–3 दिनांकित 16, अप्रैल, 2020 मे कतिपय कार्यालय एवं सेवाऐं दिनांक 20.04.2020 से प्रारम्भ करना प्राविधानित है। परंतु जनपद गाजियाबाद में बड़ी संख्या में हॉटस्पोट क्षेत्र चिन्हित होने तथा कोविड–19 के संकमित व्यक्ति होने के कारण यह स्पष्ट है कि जनपद गाजियाबाद में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

अतः जन सामान्य एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि जनपद गाजियाबाद के सम्पूर्ण क्षेत्र में कोई भी नया कार्यालय, इकाई, प्रतिष्ठान अथवा सेवा, चाहे वह केन्द्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, अर्धसरकारी हो अथवा निजी क्षेत्र की हो, प्रारम्भ नहीं की जायेगी। समस्त सम्मानित नागरिक, अधिकारी एवं कर्मचारी कोविड–19 प्रोटोकॉल एवं लॉकडाउन का पालन पूर्ववत करते रहेंगे।

(अजय शंकर पाण्डेय)
जिला मजिस्ट्रेट
गाजियाबाद

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित –

1. मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव, गृह, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
5. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

6. उपाध्यक्ष, गा0वि0प्रा0।
7. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि आदेश का प्रभावी अनुपालन कराये जाने हेतु संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें ।
8. मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
10. अपर जिला मजिस्ट्रेट, प्रशासन/नगर/वित्त एवं राजस्व/भू0अ0 गाजियाबाद।
11. अपर जिलाधिकारी, नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि प्रतिबंधित स्थलों पर मजिस्ट्रेट की रोस्टरवार ड्यूटी लगाते हुये तैनाती आदेश जारी करायें।
12. पुलिस अधीक्षक, देहात/पुलिस अधीक्षक, नगर/पुलिस अधीक्षक यातायात/पुलिस अधीक्षक, काईम, गाजियाबाद।
13. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
14. नगर मजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।
15. समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।
16. केन्द्र/राज्य सरकार के समस्त कार्यालयों/विभागों के जिला स्तरीय/विभागीय अधिकारी, जनपद गाजियाबाद।
17. जिला सूचना अधिकारी, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को समस्त प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में निशुल्क प्रकाशन कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिला मजिस्ट्रेट
गाजियाबाद